बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० 61/2021

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2021 की उत्तरपुस्तिकाओं के स्क्रूटिनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित किया गया है। यदि कोई छात्र/छात्रा अपने किसी एक विषय या सभी विषय के प्राप्तांक से असंतुष्ट हों, तो अपने उस विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका के स्क्रूटिनी हेतु समिति के वेबसाइट **biharboardonline.bihar.gov.in** पर **दिनांक 01.04.2021 से 07.04.2021 तक की अवधि में रू0 70/–(सत्तर रूपये मात्र) प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**

2. <u>ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया</u> :–

(i) उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति के वेबसाइट **biharboardonline.bihar.gov.in** पर "Apply for scrutiny (Annual Intermediate Examination 2021)"/ अथवा **scrutinyss.biharboardonline.com** लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी द्वारा अपना रौल कोड, रौल नम्बर एवं सूचीकरण संख्या (उदाहरण के तौर पर 52002–21010122–R-52002005–19) अंकित करते हुए रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के उपरांत छात्र का एक पुनरीक्षण (स्क्रूटिनी) आवदेन संख्या (Application ID No.) प्रदर्शित होगा। ये (Application ID No.) छात्र भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे।

(ii) पुनरीक्षण (स्क्रूटिनी) आवदेन संख्या (Application ID No.) एवं सूचीकरण संख्या का प्रयोग करते हुए Login करेंगे। इसके उपरांत छात्र का सभी विषयों के साथ एक पेज खुलेगा तथा सभी विषय के सामने अंकित चेक बॉक्स होगा।

(iii) जिस विषय/विषयों में परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटिनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो वे उस विषय/विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स के अन्दर (✓) मार्क करेंगे।

(iv) तत्पश्चात् Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee payment button को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटिनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत स्क्रूटिनी निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–

- यदि उत्तरपुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों में अंक मुख पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- यदि कोई प्रश्न या उसके खण्ड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जायेगा।
- स्क्रूटिनी के परिणामस्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत् रह सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)